विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 3127 दिनांक : 02/07/2016

प्रति,

प्राचार्य,
महाकाल इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेंट,
उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता/निरंतरता आवेदन क्रमांक/03,दिनांक 15.03.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.06.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए.(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	120

शर्तें :- 01. राज्य शासन के पत्र क्रमांक/1712/उ.शि.वि./प्रशसनिका/2016/भोपाल, दिनांक 02.06.2016 के अनुसार दिनांक 31 जुलाई तक कोड 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन कराये परिनियम 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन नहीं कराया जाता है तो सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी महाविद्यालय की होगी।

02. पाठ्यक्रमानुसार 500 नवीन पुस्तकें क्रय की जाये।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति दो माह में पूर्ण कर अभिलेख विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धन/2016/3128 दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3043 दिनांक :- 22/06/16

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,उज्जैन

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- एम.बी.ए.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. डॉ. आर.के.जैन - आचार्य, पं.ज.ने.व्य.प्रबंध संस्थान,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्रो. दीपक गुप्ता - आचार्य,पं.ज.ने. व्य. प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.डी.डी.बेदिया, - उपाचार्य,पं.ज.ने.व्य. प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)